प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00737/2022-2023

दिनांक 18/06/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/AMB/04282/2022-2023

पत्रावली संख्या:F-14914 दिनांक:2002-2003

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **ए0के0 ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, तमसा मार्ग मीरानपुर, तह0 अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर, उ0प्र0, अम्बेडकर नगर, 224122** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 08/2002-03 दिनांक-08/04/2002 को दिनांक-08/04/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1150 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)
6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66
Date: 18/06/2022 7:06:22 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-18/06/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : ए०के० ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : तमसा मार्ग, मीरानपुर, तह०– अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. <u>संस्था की सदस्यता अथवा सदस्यों के वर्ग :–</u>

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक बार में रू0 501/– (पाँच सौ एक रूपये) या इससे अधिक दान स्वरूप नकद अथवा सामान के रूप में देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य रहेगा परन्तु उसके प्रार्थना पत्र पर प्रबन्धकारिणी समिति की 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को रू0 51/– (रू0 इक्यावन) वार्षिक शुल्क देगा, वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

मनोनीत सदस्य : कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक–5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता है तथा प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हितों एवं उसकी आवश्यकता महसूस करती हो, ऐसे व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी समिति पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने तीन चौथाई बहुमत से मनोनीत कर सकती है। इन्हें प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव के मताधिकार प्रयोग का यह अधिकार नहीं होगा। संस्था के लिए स्वैच्छा से दान दे सकती है। इनका निर्धारित वार्षिक शुल्क न होगा।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
अयोध्या (उ0 प्र0)
11/11/19

5. संस्था की सदस्यता हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।
3. वह किसी आपराधिक अभियोग में किसी सक्षम न्यायलय द्वारा दण्डित न किया गया हो।
4. समाज सेवा की भावना से ओत–प्रोत हो।

अन्वेषा वर्मा
अभिनव वर्मा

प्रबन्धक
ए०के० ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
... अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

अध्यक्ष
ए०के० ग्रामोद्योग से०...
तमसा मार्ग अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

प्रबन्धक
डा० अशोक कुमार स्मारक महाविद्यालय
तमसा मार्ग, मीरानपुर
अकबरपुर, अम्बेडकर नगर

Scanned with CamScanner

6. सदस्यता की समाप्ति :–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
4. संस्था के हितो के विरुद्ध कार्य करने पर।
5. मादक द्रव्यों के सेवन पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7. संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्ष तक न जमा करने पर।
8. स्वेच्छा से त्याग–पत्र देने पर तथा कार्यकारिणी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
9. संदिग्ध आचरण होने पर।

7. <u>संस्था के अंग</u> (अ) साधारण सभा

प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा गठन : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठकें : सामान्यतः साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी, विशेष आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व और विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 भाग होगा।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से निश्चित किया जायेगा।

साधारण सभा के कर्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट प्राप्त करना एवं रिपोर्ट पेश करना।
3. संस्था की चल अचल सम्पत्तियों की देख रेख करना।
4. संस्था के लिए सभी स्रोतों से धन एकत्रित करना।

अध्यक्ष/संरक्षक

प्रबन्धक

प्रबन्धक
डा० अशोक कुमार स्मारक महाविद्यालय
तमसा मार्ग, मीरानपुर
अकबरपुर - अम्बेडकर नगर

Scanned with CamScanner

प्रबन्धकारिणी समिति :-

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें संरक्षक एक, प्रबन्धक एक , मंत्री एक, कोषाध्यक्ष एक एवं पाँच सदस्य होगें। इस प्रकार कुल संख्या 9 होगी।

बैठकें : सामान्यतः साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी, विशेष आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना कम से कम प्रबन्धकारिणी एवं सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित रूप से दी जाएगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 के आधार पर होगा। परन्तु एक बार बैठक के स्थगित हो जाने पर पुनः उस विषय के लिए बुलायी गयी बैठक हेतु कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :-

1. संस्था के हित में सदैव तत्पर रहना।
2. संस्था की वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था के लिए परिसम्पत्तियों को जुटाना।
4. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नित, निस्कासन।
5. संस्था के प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण कहीं भी किया जा सकता है।

कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होगा। विशेष परिस्थितियों में निर्धारित तिथि को चुनाव न होने की स्थिति में पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति ही चुनाव होने तक कार्य करेगी।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-</u>

संरक्षक : संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना और विकास हेतु सदस्यों एवं पदाधिकारियों का उचित मार्गदर्शन करना।

सत्य प्रतिलिपि

अध्यक्ष/संरक्षक

प्रबन्धक

प्रबन्धक
डा० अशोक कुमार स्मारक महाविद्यालय
तमसा मार्ग, मीरानपुर

प्रबन्धक :-

1. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
2. प्रबन्धकारिणी के निर्णयों को क्रियान्वित करना।
3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृत देना।
4. शासकीय सहायता, अनुदान प्राप्त करना।
5. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
6. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
7. संस्था की ओर से समस्त आदलती कार्यवाही करना।
8. संस्था के अभिलेख सुरक्षित रखना।
9. बैठक की सूचना सदस्यों को देना।
10. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
11. संस्था के उत्थान हेतु कार्य करना।
12. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का संचालन का उत्तरदायित्व।
13. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन एवं पदोन्निति वेतन वृद्धि करना।

मंत्री :-

1. समस्त बिल, वाउचर पर हस्ताक्षर करना
2. संस्था के अभिलेख सुरक्षित रखना।
3. आकस्मिक परिस्थितियों में रू0 200/– तक बिना प्रबन्धकारिणी समिति की अनुमति से संस्था के हित में व्यय करना।

कोषाध्यक्ष :-

1. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
3. दान में प्राप्त धनराशि की रसीद देना तथा प्राप्त धन को बैंक में जमा करना।

संस्था के नियमों एवं कर्तव्यों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन व परिमार्जन किया जाएगा।

संस्था का कोष :-

किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खोलकर जमा किया जाएगा जो प्रबन्धक एवं मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
अयोध्या (अ०नगर)

प्रबन्धक

अध्यक्ष/संरक्षक

प्रबन्धक
डा० अशोक कुमार स्मारक महाविद्यालय
समरा मार्ग, मीरानपुर
अकबरपुर - अम्बेडकर नगर

Scanned with CamScanner

संस्था के आय– व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :–

संस्था का समस्त आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराया जाएगा।

संस्था के अभिलेख :–

(1) सदस्यता रजिस्टर

(2) कार्यवाही रजिस्टर

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कैश बुक आदि

संस्था के अन्य सामान्य नियम :–

1. यह संस्था अपरिवर्तनीय है।
2. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति को केवल संस्था उद्देश्य के पूर्ति हेतु ही प्रयोग की जायेगी।
3. संस्था का लाभ समाज के सभी वर्गों को, बिना किसी जाति, धर्म, स्थान व लिंग के आधार पर विभेद किये, प्रदान किया जाएगा।

संस्था के विघटन

संस्था की विघटन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 , सन् 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार होगा ।

वित्तीय वर्ष

एक अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

आय श्रोत

सरकारी सहायता

चन्दा एवं दान

विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त धन

(सत्य प्रतिलिपि)

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स अयोध्या (उ0 प्र0)

दिनांक– 16/10/09

हस्ताक्षर

प्रबन्धक

अध्यक्ष/संरक्षक

प्रबन्धक

डा० अशोक कुमार स्मारक महाविद्यालय

तमसा मार्ग, मीरानपुर

अकबरपुर - अम्बेडकर नगर

Scanned with CamScanner

संशोधित स्मृति–पत्र

1– संस्था का नाम	:	ए0के0 ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
2– संस्था का पता	:	तमसा मार्ग, मीरानपुर, तह0–अकबरपुर, जनपद – अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)
3– संस्था का कार्य क्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4– संस्था का उद्देश्य :–

1– समाज के पिछड़े एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक एवं समाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।

2– असहाय एवं निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षणिक एवं ग्रामोद्योगिक ज्ञान कराकर उन्हें जीवकोपार्जन हेतु स्वावलम्वी बनाना।

3– बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को शिक्षा प्रदान कर ग्रामोद्योग के अवसर प्रदान करना।

4– शासन के सहयोग से प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम विशेषकर ग्रामीण गरीब एवं बेसहारा महिलाओं के बीच चलाना।

5– समय समय पर विभिन्न सामाजिक, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन करना।

6– ग्राम विकास विभाग की योजनाओं के संचालन में सहयोग देना तथा समस्त व्यवसाय में महिलाओं–पुरूषों को प्रशिक्षण देना।

7– ग्रामीण बच्चों के मानसिक विकास हेतु शिक्षण कार्य एवं पुस्तकालय तथा वाचनालय की स्थापना करना तथा बाल वाडी केयर सेण्टर, शिशु पालन गृह की स्थापना करना तथा निःशुल्क संचालन करना।

8– निम्न स्तर से उच्च स्तर तक संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी आदि के शिक्षण की व्यवस्था करना।

9– केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समाजिक, आर्थिक उत्थान की योजनाओं में सहयोग प्रदान करना।

10– संस्था के हित में चन्दा, दान एवं सरकारी अनुदान प्राप्त करना।

11– समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे दहेज, मद्यपान के विरूद्ध जनमत संग्रह एवं जनजागरण करना।

12– विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा सहयोग प्राप्त कर प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों को स्वावलम्बन के अवसर प्रदान करना।

(मुहर: कार्यालय नियंत्रक ... सत्यमेव जयते ... अयोध्या उ0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
अयोध्या (उ0प्र0)

अनीता वर्मा

आशीष वर्मा

सुनीता वर्मा

प्रबन्धक
... सेवा संस्थान
... अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

प्रबन्धक
डा० अशोक कुमार स्मारक महाविद्यालय
तमसा मार्ग, मीरानपुर
अकबरपुर - अम्बेडकर नगर

Scanned with CamScanner

13– समाज में आपसी सदभाव, राष्ट्रप्रेम, देशसेवा की भावना जागृत करना।

14– निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना।

15– दैवीय आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अग्निकाण्ड, भूकम्प आदि से प्रभावित लोगो की सहायता करने का प्रयास करना।

16– असहाय निर्धन अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के पाँच वर्ष से 14 वर्ष के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

17– विकलांगों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अगो के लिए शासन द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करना।

18– समाज कल्याण विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से सिलाई, कढ़ाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण साफ्टवेयर हार्डवेयर, विद्युत तकनीकि तथा ट्रेड में प्रशिक्षण लिए जाने का कार्य करना।

निजी क्षेत्र में डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना तथा गरीबों के स्वास्थ्य के लिये सरकार के सहयोग से हेल्प लाइन सेवा, आश्रम की स्थापना कराना।

शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा की व्यवस्था करना।

प्राथमिक से उच्च स्तर तक कृषि शिक्षा की व्यवस्था के साथ, उन्नति किस्म के बीज उत्पादन हेतु बीज शोध संस्थान की स्थापना करना।

22– घातक संक्रामक बीमारियों जैसे टी0बी0, एड्स, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह, फ़ाइलेरिया, पोलियों, हेपेटाइटिस आदि महामारी के प्रति लोगो को जागरूक व टीकाकरण कराना।

23– आर0सी0एच0 कार्यक्रम सिफ्सा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व बच्चा केन्द्र की व्यवस्था टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था करना।

24– बाल अधिकार के प्रति समाज को प्रशिक्षण देने का कार्य करना।

25– समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्दीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, नाबार्ड, कपार्ट आबार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ इत्यादि द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याणकारी कार्यक्रम का संचालन करना।

26– उत्तर प्रदेश तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथ अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित ग्रामोद्योग की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनका प्रचार–प्रसार करना।

27– वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि कार्यक्रम एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स
अयोध्या (उ0 प्र0)

प्रबन्धक

प्रबन्धक
डा0 अशोक कुमार स्मारक महाविद्यालय
तमसा मार्ग, मीरानपुर
अकबरपुर - अम्बेडकर नगर

Scanned with CamScanner

28– विकलांग जनों को शिक्षा देने हेतु प्राथमिक से उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना।

29– तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण की व्यवस्था विभिन्न ट्रेड में कराने का कार्य करना।

30– समाज के विकलांग, असहाय, निर्धन, अनाथ लोगों के लिए वृद्धाश्रम, अनाथालय, बालवाड़ी आदि की व्यवस्था करनी।

6– प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पतें, पद तथा व्यवसाय, जिनकों संस्था के नियमानुसार कार्य भार सौंपा गया :–

हम निम्न प्रस्तावकर्ता संस्था की उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, सन् 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं।

क्र0सं0	सदस्य का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री मुक्तिनाथ वर्मा पुत्र स्व0 महादेव	देव निवास कटरा तहसील सदर गोशाईगंज फैजाबाद	संरक्षक	समाज सेवा
2	श्रीमती रेनू वर्मा पत्नी स्व0 अशोक कुमार वर्मा	तमसा मार्ग मीरानपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर	प्रबन्धक	नौकरी
3	श्रीमती अनीता पत्नी श्री रजनीश	देव निवास कटरा तहसील सदर गोशाईगंज फैजाबाद	मंत्री	समाज सेवा
4	श्रीमती मोनिका पुत्री श्री मुक्तिनाथ वर्मा	ग्राम व पो0 राम्पुर (यादवपुर) फैजाबाद	कोषाध्यक्ष	नौकरी
5	कु0 अन्वेषा पुत्री स्व0 अशोक कुमार वर्मा	तमसा मार्ग मीरानपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर	सदस्य	समाज सेवा
6	सिराज अहमद पुत्र श्री सुबराती	मीरानपुर अकबरपुर, अम्बेडकर नगर	सदस्य	कृषि
7	श्री जगन्नाथ पुत्र श्री फेरई	ग्राम व पो0 हींडी पकड़िया अम्बेडकरनगर	सदस्य	कृषि
8	श्री अभिनव वर्मा पुत्र स्व0 अशोक कुमार वर्मा	तमसा मार्ग मीरानपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर	सदस्य	समाज सेवा
9	श्री रजनीश पुत्र श्री मुक्तिनाथ वर्मा	देव निवास कटरा तहसील सदर गोशाईगंज फैजाबाद	सदस्य	कृषि

दिनाँक :–

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/संरक्षक
ए0के0ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
तमसा मार्ग अकबरपुर-अम्बेडकर नगर

अन्वेषा वर्मा
अभिनव वर्मा

प्रबन्धक
ए0के0ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
तमसा मार्ग अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

रेनू वर्मा
प्रबन्धक
डा० अशोक कुमार स्मारक महाविद्यालय
तमसा मार्ग, मीरानपुर
अकबरपुर - अम्बेडकर नगर

Scanned with CamScanner